संख्या–352 / 18–2–2011–4(एस0पी0) / 2010

प्रेषक

सत्यजीत ठाकुर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2– आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

लघु उद्योग अनुभाग–2 लखनऊ: दिनांक: 31 मार्च, 2011

विषयः–दर अनुबन्ध की व्यवस्था को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

प्रदेश में राज्य सरकार के स्टोर परचेज रूल्स के अधीन उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश के स्तर पर केन्द्रीयकृत दर अनुबन्ध प्रणाली लागू है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के राजकीय विभागों द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री की नियमित आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दर अनुबन्ध की कार्यवाही की जाती है। पूर्व में मात्रा अनुबन्ध का कार्य भी उद्योग निदेशालय द्वारा किया जाता था किन्तु शासनादेश संख्या–2177 एल / 18–7–94–15(एसपी) / 92, दिनांक 17 अक्टूबर, 1994 एवं शासनादेश संख्या–708 / 18–5–98–15(एसपी) / 92, दिनांक 08 जनवरी, 1999 द्वारा इसे विकेन्द्रीयकृत कर यह कार्य सभी विभागों को दे दिया गया है, केवल शासन के गृह विभाग के संबंध में यह व्यवस्था है कि यदि वह चाहे तो किसी वस्तु विशेष का मात्रा अनुबन्ध स्वयं अपने स्तर पर कर सकते हैं अथवा चाहें तो उद्योग निदेशालय से अनुरोध कर मात्रा अनुबन्ध की कार्यवाही करा सकते हैं।

2– उद्योग निदेशालय के स्तर पर केन्द्रीयकृत दर अनुबन्ध प्रणाली के अन्तर्गत जो कार्यवाही की जाती रही है, उसमें आपूर्ति की जाने वाली वस्तु की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में कठिनाई अनुभव की गयी है। दर अनुबन्ध के अन्तर्गत आपूर्ति की जाने वाली वस्तु के जो नमूने लिये जाते हैं, वे केवल उद्योग निदेशालय तथा आपूर्तिकर्ता स्तर पर सुरक्षित होते हैं, जबकि सम्बन्धित वस्तु की आपूर्ति प्रदेशव्यापी स्तर पर विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों को होती है, जिसके नमूने उपलब्ध न होने के कारण यह सुनिश्चित करना कठिन होता है कि दर अनुबन्ध के अन्तर्गत आपूर्ति की गयी वस्तु, निदेशालय स्तर पर दिये गये नमूने के अनुरूप है अथवा नहीं।

3– अतः प्रदेश की क्रय प्रकिया में बिजनेस प्रोसेस, रि–इंजीनियरिंग, चेंज मैनेजमेन्ट तथा प्रोक्योरमेन्ट रिफार्म्स को सुनिश्चित करने हेतु मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में प्रदेश में उद्योग निदेशालय स्तर पर प्रभावी दर अनुबन्ध तथा मात्रा अनुबन्ध की व्यवस्था को समाप्त करते हुए सभी प्रकार की दर अनुबन्ध तथा मात्रा अनुबन्ध, सभी राजकीय विभागों को अपने स्तर से करने हेतु इस शर्त के साथ अधिकृत किया जाता है कि वह राज्य सरकार के स्टोर परचेज रूल्स, वित्तीय नियमों तथा समय–समय पर जारी शासनादेशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

4-- वर्तमान में दर अनुबन्ध प्रणाली के अन्तर्गत उद्योग निदेशालय स्तर पर जो दर अनुबन्ध किये गये हैं, उन्हें उनकी वैधता अवधि तक यथावत रखा जायेगा एवं भविष्य में इन वस्तुओं के सम्बन्ध में भी दर अनुबन्ध की कार्यवाही उपरोक्तानुसार की जायेगी।

5-- भण्डार क्रय नियमों में यथा--आवश्यक संशोधन अलग से किये जायेंगे।

6-- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या--एफ ए--1--87/दस--2011, दिनांक 28 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सत्यजीत ठाकुर)
प्रमुख सचिव।

संख्या--352(1)/18--2--2011--4(एसपी)/2010, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1-- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)--प्रथम/द्वितीय तथा (आडिट)--प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2-- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ।

3-- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4-- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

5-- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दया शंकर सिंह)
अनु सचिव।